सिविल प्रकरण क्रमांक–172ए/2023

न्यायालय :– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड के अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला–सिवनी (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी :–राखी देवलिया

प्रकरण क्रमांक–आर.सी.एस.ए/172/2023
फाइलिंग क्रमांक–400/2023
सी.एन.आर.नं.– एम.पी.2201–002137–2023
रजिस्ट्रेशन दिनांक–25.04.2023

सुनील कुमार कश्यप पिता स्व0 तुलसीराम कश्यप
आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी–आजाद वार्ड सिवनी
तहसील व जिला सिवनी (म0प्र0)

------**वादी/आवेदक**

विरूद्ध

01. ब्रजेश कुमार आयु–34 वर्ष पिता स्व0 तुलसीराम कश्यप
02. राजेश कुमार कश्यप पिता स्व0 तुलसीराम कश्यप
    दोनों निवासी–आजाद वार्ड सिवनी
    तहसील व जिला सिवनी (म0प्र0)
03. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–सिवनी (म.प्र.)

-----**प्रतिवादीगण/अनावेदकगण**

/आदेश/

(आज दिनांक 26.04.2025 को पारित)

01– इस आदेश द्वारा वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा–94 व 151 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है।

02– आवेदन पत्र इस आशय का है कि आवेदक/वादी ने अनावेदक/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वत्व की उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत व्यवहार वाद प्रस्तुत किया है। आवेदक/वादी, अनावेदक/प्रतिवादीगण आजाद वार्ड सिवनी के स्थाई निवासी होकर आपस में सगे भाई है। उभयपक्ष हिन्दू विधि की बनारस शाखा की मिताक्षरा विधि से शासित होते है। आवेदक/वादी के पूर्वज

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

खेता एवं उसके भाई मंगल की सिवनी नजूल भूमि बुधवारी वार्ड, ब्लाक नंबर 48 एवं प्लाट नंबर 15 क्षेत्रफल 1525 वर्गफिट पर मकान निर्मित था, जिसका आपसी पंच बंटवारा दोनों भाईयों के मध्य होने से खेता एवं मंगल अपने–अपने भाग पर पृथक–पृथक निवास करने लगे थे। तत्पश्चात् मंगल की मृत्यु हो जाने पर उक्त संपत्ति पर आवेदक / वादी के पूर्वज खेता, भगवानदास, संतू, शिब्बू तथा द्रोपती का संयुक्त नाम वर्ष 1992 से 1996 के नजूल रिकार्ड में दर्ज रहा तथा उक्त भूमि का पट्टा भी नजूल विभाग से संयुक्त जारी किया गया, तत्पश्चात खेता एवं मंगल के वारिसान भगवानदास, संतू, शिब्बू तथा द्रोपती के मध्य आपसी मौखिक पारिवारिक बंटवारा होने पर नजूल विभाग द्वारा विधिवत नामांतरण कर वादी के पूर्वज खेता को उक्त संपत्ति में से 608 वर्गफिट पर निर्मित दो मंजिला मकान प्राप्त हुआ, जिसका प्लाट नंबर 15 / 4 क्षेत्रफल 608 वर्गफिट, जिसके भू तल पर तीन कमरे एवं प्रथम तल पर तीन कमरे स्थित थे, जो आवेदक / वादी की पैतृक संपत्ति थी, जिस पर वादी का जन्म से अधिकार है।

03– वादी ने आगे अपने आवेदन में यह व्यक्त किया है कि आवेदक / वादी एवं अनावेदक / प्रतिवादीगण के पिता तुलसीराम एवं माता लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र आवेदक / वादी सुनील एवं अनावेदक / प्रतिवादी ब्रजेश को उक्त वादग्रस्त संपत्ति में पारिवारिक व्यवस्था कर भू तल के तीन कमरे वाला भाग आवेदक / वादी एवं प्रथम तल के तीन कमरे अनावेदक / प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्रदाय कर दिया था। आवेदक / वादी अपने माता पिता के साथ भू तल पर निवास करता रहा। अनावेदक / प्रतिवादी क्रमांक 2 राजेश को मां लक्ष्मी एवं पिता तुलसीराम की सहमति से एक अन्य भू खण्ड प्लाट नंबर 15 / 2 क्षेत्रफल 440 वर्गफिट पर निर्मित मकान, जो शिब्बू की बीमारी का इलाज एवं पारिवारिक देखरेख करने हेतु शिब्बू के परिवार की सहमति से तुलसीराम को प्रदाय कर दिया था।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com

04– वादी/आवेदक का आगे कथन है कि वादग्रस्त भूमि में अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 2 का कोई हक, अधिकार नहीं है। तुलसीराम की वर्ष 2013 में मृत्यु होने के पश्चात वर्ष 2013–14 में आवेदक/वादी अपने निजी व्यवसायिक कार्य से जबलपुर गया, जिसकी अनुपस्थिति एवं लक्ष्मीबाई की असहाय वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए अनावेदक क्रमांक 1 ने आवेदक/वादी की वादग्रस्त संपत्ति के पारिवारिक व्यवस्था में प्राप्त अंश भू तल के सामने स्थित दुकान वाला कमरा एवं पीछे वाले कमरे में जबरन कब्जा कर लिया और विधवा मां को बीच के कमरे में अकेला छोड़ दिया। आवेदक/वादी जब मई 2014 में अपने घर वापस आया, तब उसे जानकारी प्राप्त हुई, तब आवेदक/वादी ने अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 से आवेदक/वादी को प्राप्त अंश की सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने के संबंध में चर्चा की, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी के साथ मारपीट एवं जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसकी रिपोर्ट वादी ने दिनांक 23.05.2014 को दर्ज करायी, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.सं. का मामला पंजीबद्ध किया गया था।

05– वादी ने आगे अपने आवेदन में यह व्यक्त किया है कि माह मार्च 2022 में आवेदक/वादी को जानकारी लगी कि, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने संपूर्ण वादग्रस्त संपत्ति में अपना नाम दर्ज करा लिया है। संपूर्ण वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति है, जिस पर त्रुटिवश आवेदक/वादी की मां स्व0 लक्ष्मीबाई का नाम दर्ज था, उसका अनुचित फायदा उठाकर वादी की जानकारी व सहमति के बगैर वादग्रस्त संपत्ति में आवेदक/वादी का हक हडपने के आशय से अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आवेदक/वादी की माँ लक्ष्मी बाई की कूटरचित फर्जी व अधिकार विहीन वसीयत दिनांक 05.03.2015 के आधार पर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा वादग्रस्त पैतृक संपत्ति में आवेदक/वादी को

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

पारिवारिक व्यवस्था में प्राप्त अंश को अवैध रूप से हडपने का षडयंत्र रचा और उक्त संपूर्ण वादग्रस्त पैतृक संपत्ति को अन्य को विक्रय करने हेतु प्रयासरत है, जिसकी जानकारी लगने पर आवेदक/वादी ने फर्जी कूटरचित व अधिकार विहीन वसीयत दिनांक 05.03.2015 के आधार पर किए गए नामांतरण आदेश दिनांक 21.01.2022 की अपर कलेक्टर सिवनी की न्यायालय में अपील की, किंतु उक्त अपील विलंब से प्रस्तुत करने पर दिनांक 11.11.2022 को निरस्त कर दी गई, जिसके विरूद्ध आवेदक/वादी ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 341/2023 प्रस्तुत की है, जो वर्तमान में लंबित है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नजूल अधिकारी द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 21.01.2022 को अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है।

06– वादी ने आगे अपने आवेदन में यह व्यक्त किया है कि वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है तथा वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाते हुए रहन, विक्रय करने पर प्रयासरत है। अतः आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

07– प्रतिवादी/अनावेदक क्रं0–01 एवं 02 ने वादी के उक्त आवेदन के कथनों से इंकार करते हुए जबाब में व्यक्त किया है कि वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व दस्तावेजों पर प्रतिवादी क्रमांक–1 ब्रजेश का नाम बतौर भूमि स्वामी दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त संपत्ति म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 117 के प्रावधानों के प्रकाश में प्रतिवादी क्रं–1 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी क्रं–1 का भौतिक आधिपत्य भी है। वादी के द्वारा जिस नामांतरण आदेश दिनांक –21.1.2022 जिसका रा.प्र.क्रं–152/3–6/2021–22 के संबंध में न्यायालय के समक्ष अवैधानिक

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

होने एवं बंधनकारी ना होने की याचना याचित की है, उसी संबंध में वादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एम.पी–341 / 2023 सुनील कुमार कश्यप विरूद्ध एडिशनल कलेक्टर एण्ड अदर्स भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार वादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष एक ही प्रकार की याचना याचित की है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त एम. पी.–341 / 2023 के निराकरण तक इस कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायोचित है।

08– प्रतिवादी / अनावेदक क्र01 व 02 का आगे कथन है कि वादग्रस्त संपत्ति लक्ष्मीबाई की संपत्ति थी, जिसने अपनी स्वेच्छा से उक्त संपत्ति की वसीयत प्रतिवादी क्रं–1 को गवाहों के समक्ष निष्पादित की थी, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित मानकर प्रतिवादी क्रं–1 का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज किया गया है, प्रतिवादी क्रं–1 वादग्रस्त संपत्ति का अनन्य स्वामी व आधिपत्यधारी है, वादी का उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है, ना ही आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है।

09– प्रतिवादी / अनावेदक क्रं0–01 एवं 02 ने आगे कथन किया है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में हितबद्ध पक्षकारों के कुसंयोजन एवं असंयोजन का दोष विद्यमान है। वादी का उक्त संपत्ति पर भौतिक आधिपत्य भी नहीं है, साथ ही वादी के द्वारा दावे में बंटवारे की कोई याचना नहीं की गई है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

10– प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

2. क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

3. क्या वादी/आवेदक को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है ?

/विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष/

11— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी/आवेदक के पक्ष में है अर्थात् क्या उसके द्वारा सद्भाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुण–दोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। आवेदक की ओर से आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12— वादी/आवेदक ने उसके पूर्वज खेता एवं उसके भाई मंगल की सिवनी नजूल भूमि प्लाट नंबर 15 क्षेत्रफल 1525 वर्गफुट पर मकान निर्मित होना व्यक्त कर उनका आपसी बटवारा होना एवं बटवारा उपरांत नजूल विभाग द्वारा विधिवत नामांतरण कर वादी के पूर्वज खेता को उक्त संपत्ति में से 608 वर्गफुट पर निर्मित दो मंजिला मकान प्राप्त होना एवं उसका प्लाट नंबर 15/4 होना व उसके भूतल एवं प्रथम तल पर तीन–तीन कमरें स्थित होना व वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता तुलसीराम एवं मां लक्ष्मीबाई के द्वारा पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार वादी को भूतल के तीन कमरे वाला भाग एवं प्रतिवादी क्र01 को प्रथम तल के तीन कमरे प्रदान किया जाना व प्रतिवादी क्र02 को माता–पिता की सहमति से अन्य प्लाट क्रमांक 15/2 पर निर्मित मकान प्राप्त होना एवं वर्ष 2013–14 में वादी के द्वारा निजी कार्य से बाहर जाने पर उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवादी क्र01 द्वारा वादी को प्राप्त भूतल के सामने स्थित दुकान वाले व पीछे वाले कमरे पर जबरन

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

आधिपत्य कर लिया जाना बताया है। इसके विपरीत प्रतिवादी क्र01 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति लक्ष्मीबाई की संपत्ति होना व्यक्त कर उनके द्वारा उक्त संपत्ति की वसीयत प्रतिवादी क्र01 के पक्ष में निष्पादित की जाना तथा उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्र01 का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होना बताया है।

13– वादी के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में वर्ष 1992–93 से 1995–96 का खसरा, वर्ष 2019–20 का खसरा, वसीयतनामा दिनांक 05.03.2015 की छायाप्रति, नामांतरण आदेश दिनांक 21.01.2022 की छायाप्रति, माननीय उच्च न्यायालय के एम.पी.क्रमांक 341/23 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2023 की प्रति, नजूल खसरा वर्ष 1947–48 से 1950–51, खसरा वर्ष 1961–62 से 1964–65, नजूल खसरा वर्ष 1967–68 से 1969–70, नक्शा, चालान की प्रति, नजूल खसरा वर्ष 2003–04 से वर्ष 2010–11 अभिलेख पर प्रस्तुत की है।

14– वादी की ओर से प्रस्तुत नजूल खसरा वर्ष 1992–93 से 1995–96 के अवलोकन से प्लाट क्रमांक 15 क्षेत्रफल 1525 वर्गफुट पर खेता पुत्र अर्जुन, भगवानदास, संतू, सिब्बू पिता मंगल नाबालिक वली द्रोपतीबाई, द्रोपतीबाई बेवा मंगल का नाम अंकित होना एवं वर्ष 1947–48 से 1950–51 के खसरे के अवलोकन से उक्त प्लाट क्रमांक 15 क्षेत्रफल 1525 वर्गफुट पर अर्जुन पिता नन्हू का नाम अंकित होना एवं उक्त खसरा की वर्ष 1948–49 की प्रविष्टि अनुसार अर्जुन के फौत होने से खेता, मंगल पुत्र अर्जुन का नाम प्रविष्ट होना तथा वर्ष 1961–62 से 1964–65 के खसरे के अवलोकन से उक्त भूमि पर खेता व मंगल का नाम संयुक्त रूप से अंकित होना तथा खसरा वर्ष 1967–68 से 1969–70 के खसरे के अवलोकन से उक्त भूमि पर खेता, भगवानदास, संतू, सिब्बू पिता मंगल नाबालिक वली द्रोपतीबाई, द्रोपतीबाई बेवा मंगल का नाम अंकित होना दर्शित है।

15– वादी की ओर से प्रस्तुत नजूल खसरा वर्ष 2003–04 से वर्ष

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

2010—11 के अवलोकन से प्लाट कमांक 15 / 2 क्षेत्रफल 440 वर्गफुट पर राजू पिता तुलसीराम कश्यप का नाम अंकित होना एवं उक्त वर्ष के प्लाट कमांक 15 / 4 क्षेत्रफल 608 वर्गफुट के अवलोकन से उक्त प्लाट पर लक्ष्मीबाई पति तुलसीराम का नाम अंकित होना प्रकट होता है।

16— वादी की ओर से प्रस्तुत वर्ष 2019—20 के नजूल खसरे के अवलोकन से प्लाट कंमाक 15 / 4 क्षेत्रफल 608 वर्गफुट पर लक्ष्मीबाई पति तुलसीराम का नाम एवं उक्त वर्ष के प्लाट कमांक 15 / 2 क्षेत्रफल 440 वर्गफुट पर राजू पिता तुलसीराम का नाम अंकित होना दर्शित है। वादी की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 05.03.2015 की छायाप्रति के अवलोकन से लक्ष्मीबाई पति तुलसीराम के द्वारा ब्रजेश पिता तुलसीराम के पक्ष में उक्त वादग्रस्त प्लाट कमांक 15 / 4 क्षेत्रफल 608 वर्गफुट पर निर्मित मकान की वसीयत प्रतिवादी ब्रजेश के पक्ष में करना उल्लेखित है। वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व प्रकरण कमांक 0218 / अ—6 / 2020—21 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2022 की छायाप्रति के अवलोकन से वादग्रस्त प्लाट पर प्रतिवादी ब्रजेश का नाम दर्ज किये जाने संबंधी आदेश दिया जाना प्रकट है एवं माननीय उच्च न्यायालय के एम.पी.कमांक 341 / 23 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2023 के अवलोकन से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 21.01.2022 को आगामी सुनवाई की तिथि तक स्थिगित किये जाने का आदेश दिया जाना प्रकट है।

17— वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त संपत्ति पूर्व में वादी के पूर्वज एवं तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी क01 व 2 की मॉ लक्ष्मीबाई के नाम पर अंकित रही होना प्रकट है। प्रकरण में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि वादी व प्रतिवादी क01 व 2 आपस में सगे भाई है तथा वादग्रस्त संपत्ति उनके पूर्वजों की रही है। वादी ने वादग्रस्त मकान में भूतल के तीन कमरे

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

पारिवारिक व्यवस्था में उसे बटवारें में दिया जाना और उसके दो कमरों पर प्रतिवादी क्र01 के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जाना बताया है इसके विपरीत प्रतिवादी क्र01 व 02 द्वारा वादग्रस्त मकान लक्ष्मीबाई की संपत्ति होना व्यक्त कर लक्ष्मीबाई के द्वारा उसकी वसीयत प्रतिवादी क्र01 के पक्ष में कर दिया जाना बताया है।

18– वादी ने उक्त वसीयतनामा को आक्षेपित किया है। उक्त वसीयत की सत्यता का परीक्षण उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत गुण–दोषों पर किया जा सकता है। वादी ने प्रतिवादी क्र01 व 02 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को अन्यंत्र विक्रय व हस्तांतरित करने में प्रयासरत होना बताया है। यदि वाद के लंबनकाल में प्रतिवादी क्र01 व 2 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को अन्यत्र विक्रय अथवा हस्तांतरित कर दिया जाता है तो वादी का वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा एवं वाद बाहुल्यता बढेगी। इसके विपरीत यदि कुछ समय के लिये प्रतिवादी क्र01 व 02 को वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय करने से रोका जाता है तो वादग्रस्त संपत्ति अचल संपत्ति है तथा आगामी समय में उसके मूल्य में वृद्वि होगी। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत वादी/आवेदक के पक्ष में पाया जाता है।

19– उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत आवेदक के पक्ष में पाया जाता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा–151 सी.पी.सी. आई.ए.क्रमांक–01 **स्वीकार** कर निम्नानुसार आदेश दिया जाता है कि –

अ– प्रतिवादी/अनावेदक क्र. 01 व 02 वाद के अंतिम निराकरण तक अथवा न्यायालय के आगामी आदेश तक जो भी पूर्व हो वादग्रस्त

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

संपत्ति को स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से अन्यत्र विक्रय अथवा हस्तातंरित न करे न ही करावे।

20– इस आदेश का प्रभाव गुण–दोष के आधार पर घोषित निर्णय पर नहीं होगा।

21– आवेदन पत्र का व्यय वाद के अंतिम निराकरण के समय व्यय तालिका में जोड़ा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया।

दिनांकः–26.04.2025

RAKHI Digitally signed by RAKHI Date: 2025.04.26 16:14:06 +0530

(श्रीमती राखी देवलिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी (म.प्र.)

(श्रीमती राखी देवलिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी (म.प्र.)

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP22010021372023/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com